

फैक्स / ई-मेल/ स्पीड पोस्ट

ई-1696326

संख्या- 412 P/छ:-प-6-2023-300 (56) /2022-6-6099/25/2023

प्रेषक,

संजय प्रसाद  
प्रमुख सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6

विषय: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना / इन्दिरापुरम विस्तार योजना में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि के निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या- ग्यारह-115-2022 (पुलिस कमिश्नरेट गाजि0) दिनांक 15-02-2023 (प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा कार्यालय पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के पत्र संख्या-प-102/2021 दिनांक 11-02-2023 (प्रति संलग्न) भू-अभिलेख/ नक्शा (पाकेट-ए, बी, ई एवं एफ) एवं इन्दिरापुरम विस्तार योजना के भू-अभिलेख/ नक्शा संलग्न करते हुए पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के प्रस्तावित थाने-नीतिखण्ड एवं अंकुर बिहार की स्थापना एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पुलिस विभाग हेतु मधुबन बापूधाम योजना के पाकेट- A, B, E & F में कुल भूमि क्षेत्रफल 11341 वर्ग मी0 एवं पत्र दिनांक 22-12-2022 में नीतिखण्ड थाना हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना में लगभग 3000 वर्ग मी0 निःशुल्क भूमि का आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

2- प्रकरण में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्र संख्या- 260/2023 दिनांक 16-01-2023 (प्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि "-----पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 16-01-2023 द्वारा मधुबन बापूधाम योजना में पुलिस स्टेशन/ पुलिस चौकी हेतु तलपट मानचित्र में नियोजित भूखण्डों के संयुक्त निरीक्षण सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सहायक पुलिस आयुक्त (आफिस), अवर अभियन्ता-गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आधार पर 04 उपयुक्त पाये गये भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन करने के अनुरोध किया गया है, पुलिस विभाग को उपरोक्त भूमि का पुलिस थाना/ पुलिस चौकी के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन शासन के निर्णय के तहत ही किया जा सकता है। पूर्व में मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत एवं कोयला एन्क्लेव योजना में नवीन थाना स्थापित करने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 08-07-2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में गृह (पुलिस) अनुभाग-7 के शा0 संख्या- 603/2020/1271-6-पु-7-2020-104/2019 दिनांक 11-07-2020 के अनुसार पुलिस थानों की स्थापना हेतु मधुबन बापूधाम में 3009.63 वर्गमी0, टीलामोड स्थित कोयला एन्क्लेव योजना में 1294.20 वर्गमी0 भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी थी।

अतः अनुरोध है कि पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र दिनांक 16-01-2023 के क्रम में पुलिस विभाग हेतु मधुबन बापूधाम योजना के पाकेट- A, B, E & F में कुल भूमि क्षेत्रफल 11341 वर्ग मी0 एवं पत्र दिनांक 22-12-2022 में नीतिखण्ड थाना हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना में लगभग 3000 वर्ग मी0 निःशुल्क भूमि का आवंटन हेतु निर्णय कराने का कष्ट करें। "

3- उक्त वर्णित तथ्यों एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के उक्त पत्र दिनांक 15-02-2023 एवं कार्यालय पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के उक्त पत्र दिनांक 11-02-2023 द्वारा किये गये अनुरोध के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस थाना/पुलिस चौकी के

उप सचिव (प्री सिई)

28/3/23

(नौरजा कुशील)

विशेष सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उ०प्र० शासन।

U. S. 9  
28-3-23 L3

प्री सिई  
29/3/23

5065/21/5/23  
VSC (U)

(अधीन) का.  
निजी सचिव,  
सचिव

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2023

सचिव/शा-9

1/1  
27/3/23

(नितिन रमेश गौकरी)

प्रमुख सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन

70512/25/23

2377743/2023/ -9

लिए मधुवन बापूधाम योजना के पाकेट- A, B, E & F में कुल भूमि क्षेत्रफल 11341 वर्ग मी0 एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना में लगभग 3000 वर्ग मी0 निःशुल्क भूमि का आवंटन करने का कष्ट करें।

संलग्नक - यथोपरि।

Signed by संजय प्रसाद

Date: 15/02/2023 14:02:31

Reason: Approved

संजय प्रसाद

प्रमुख सचिव।

संख्या- 412 P/छ:-पु-6-2023- 300 (56) /2022-6-6099/25/2023 तद्विनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, भवन/ कल्याण, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को उनके पत्र संख्या- ग्यारह-115-2022 (पुलिस कमिश्नरेट गाजि0) दिनांक 15-02-2023 के क्रम में।
3. पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद।
4. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को उनके पत्र संख्या- 260/2023 दिनांक 16-01-2023 के क्रम में।
5. अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)

उप सचिव।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ-1

संख्या: गंधारह-115-2022(पुलिसकमिश्नरेंट गाजि0) दिनांक फरवरी 15, 2023

सेवा में

श्री संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव, गृह  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

412

विषय:-

जनपद गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना/इन्दिरापुरम् विस्तार में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 192/6-7099-65/2023 दिनांक 25-01-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जनपद गाजियाबाद में पुलिस थाना/पुलिस चौकी के लिए मधुबन बापूधाम योजना की कुल 11341.00 वर्गमी0 भूमि व इन्दिरापुरम् विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्गमी0 भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में प्रस्तावित प्रस्ताव मय भू-अभिलेखों सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3941/US(E) 12

VS(VS)

(सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन)

सचिव,  
गृह विभाग,  
उ०प्र० शासन

558

US(PR) P-7

20-2-2023  
(विभव श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव  
गृह, उ०प्र० शासन  
एवं गंधार विभाग,  
उ०प्र० शासन

P-7  
PR/US  
20-2-23

प्रश्नगत प्रकरण में अद्यत कराना है कि पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के पत्रांक प-102/2021 दिनांक 11-02-2023 द्वारा मधुबन बापूधाम योजना के भू-अभिलेख/नक्शा (पाकेट ए0 बी0 ई0 एवं एफ0) एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम् विस्तार योजना के भू-अभिलेख/नक्शा संलग्न कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 25-01-2023 द्वारा की गयी पृच्छा के क्रम में जनपद गाजियाबाद में पुलिस थाना/पुलिस चौकी के लिए मधुबन बापूधाम योजना के भू-अभिलेख/नक्शा (पाकेट ए0 बी0 ई0 एवं एफ0) एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम् विस्तार योजना के भू-अभिलेख/नक्शा संलग्न कर आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

श्री तन्वी  
25/2/2023

भवदीय

US/PR/US

( एस0 के0 भगत )

पुलिस महानिरीक्षक, भदन / कल्याण  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्री 3/2/23

P-6  
25/2/23

2377743/2023/

कीर्यालय

पुलिस

आयुक्त

गाजियाबाद ।

पत्र संख्या: प-102/2021

दिनांक: फरवरी 11, 2023

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, भवन/कल्याण,  
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,  
लखनऊ ।

विषय:- पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के मधुवन बापूधाम योजना/इन्दिरापुरम विस्तार में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:- ग्यारह-373-2019 दिनांक 27.01.2023 व शासन के पत्र संख्या-192/6-7099-65-2023 दि० 25-01-2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में पुलिस थाना/पुलिस चौकी के लिए मधुवन बापूधाम की योजना की कुल 11341.00 वर्ग मी० भूमि व इन्दिरापुरम विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्ग मी० भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव मय भू-अभिलेखों सहित उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है ।

2- उक्त के दृष्टिगत मधुवन बापूधाम योजना के भू-अभिलेख/नक्शा (पोकेट ए, बी, ई एवं एफ) एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना के भू-अभिलेख/नक्शा संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

संलग्नक:- यथोपरि 48 वक

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  
कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

प्रतिलिपि:-

संयुक्त सचिव ग्रह (पुलिस), अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


622

भवत

पुलिस अधीक्षक, द्वितीय  
पुलिस मुख्यालय,  
लखनऊ ।  
13.02.23

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त  
कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

SITE PLAN OF POLICE STATION PLOT NO. A/P.ST.-1 AT POCKET-A,  
MADHUBAN BAPUDHAM YOJNA, G.D.A. GHAZIABAD.



Attested

SP/2023  
10/02/2023

दीपिका चौहान

सहायक अभियन्ता

AE TPH/DA

Handwritten signatures and dates: 17/11/2023, AMIN

Handwritten initials: TN

Handwritten signature

Handwritten initials: TN


Handwritten signature



2377743/2023

# SITE PLAN OF POLICE CHOWKI PLOT, COMMUNITY CENTER PLOT & HIGH SCHOOL PLOT AT POCKET-B MADHUBAN BAPUDHAM YOJNA, GDA, GZB.

HIGH SCHOOL PLOT - B/H.S.-1 = 1567.68 SQ.M.  
COMMUNITY CENTER PLOT - B/C.C.-1 = 2832.56 SQ.M.  
POLICE CHOWKI PLOT - B/P.C.-1 = 3098.30 SQ.M.




REPAIRED BY  
COMPAIRED BY  
25/12/2021

MEAS. AND CALC. BY  
25/12/2021

TOWN PLANNER



SITE PLAN OF POLICE THANA PLOT NO. E/P.TH.-1 AT POCKET-I-E,  
MADHUBAN BAPUDHAM YOINA, G.D.A. GHAZIABAD.



DAN  
 6-02-23  
 AMIN

AMIN

AE

EE

TEH


TP

02/1/2023  
 AS/C.A./TP

SECRETARY

VICE CHAIRMAN

10/02/2023  
Attended



USED PART LAYOUT PLAN OF POKKET-F, MADHUBAN BAPUDHAM YOJNA, G.D.A. GHAZIA





खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : खतपुर गावड़ा पंचायत : (खतपुराबाद) खतपुराबाद : गाविसाबाद : नाम : गाविसाबाद फसली वर्ष : 1426-1431 (01 अक्टूबर, 2018 से 30 अक्टूबर, 2024) भाग : 1 खता संख्या : 00025

खतपुरा का नाम / शिवा प्रथि संख्या का नाम / शिवा संख्या खता संख्या क्षेत्रफल (हे.) अक्षर टिप्पणी

शेरी 1-क / भूमि नो सजावणीय भूमिपरो कअप्रमाणित मे हो।

गाविसाबाद विवरण गाविसाबाद /	228	0.1180			
	227	0.1100			
	225	0.1090			
	226	0.1090			
	221	0.3890			
	222	0.4190			
	195	0.1670			
	186	0.2000			
	229	0.1180			
	210	0.7440			
	202	0.9010			
	232	0.9540			
	231	0.5630			

खता विवरण की तारीख (अक्टूबर, 2024) के बाद खतपुरा गाविसाबाद विवरण प्रमाणित नहीं है। खतपुरा गाविसाबाद की खता विवरण की तारीख (अक्टूबर, 2024) के बाद खतपुरा गाविसाबाद विवरण प्रमाणित नहीं है।

Hindi



164	0.1950
36	0.1930
34	0.5470
22	0.6450
130	0.1260
131	0.1830
179	0.2460
23	1.0200
170	0.8090
175	0.0380
182	1.1420
<b>योग</b>	<b>67.0770</b>
120	

संस्थागत रूप से प्रयुक्त (यूएस (पाठ्य) के बाद प्रकाशित/प्रकाश/निर्माण/संशोधन) के रूप में संस्थागत संस्थागत संशोधन के लिए।  
 Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अंदाजित हैं, उक्त विवरण अंदाजित है, तदर्थित कार्यालय केन्द्र, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का प्रमुख कार्यालय है।  
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.







**BHULEKH**  
Uttar Pradesh

विम खान की प्रमाणित प्रति आनलाइन प्रान्त कर के लिये प्रमाणित है।

**खाना विवरण (अप्रमाणित प्रति)**

ग्राम का नाम: सरगुर

परतन: (उत्सर्ग)

खरीत: गावियाबाद

नगर: गावियाबाद

परतनी नं: 1422-1427

पाना: 1

खाना संख्या: 00988

खरीत का नाम / खाना परत आकर का नाम / विवरण स्थान

खाना संख्या

क्षेत्रफल  
(हे.)

अरत

रिजती

नैती: 6-2 / अरतक प्रति - रस्ता, सरक, खेत, अरत और ऐसी दूसरी प्रति का जोड़कर अरतों के काम में खाना नती है।

गावियाबाद विवरण प्रमाणित //

163 ✓	0.4690		
164 ✓	0.7400		
213 ✓	1.2520		
216 ✓	1.0700		
218 ✓	0.3610		
219 ✓	0.1590		
220 ✓	0.7200		
224 ✓	0.7580		
226 ✓	0.4700		
228 ✓	0.5920		
229 ✓	0.6320		
230 ✓	0.6870		
232 ✓	1.4040		
233 ✓	0.7220		
235 ✓	1.7850		
346 ✓	2.9020		
349 ✓	0.5870		
350 ✓	0.4380		
351 ✓	0.1010		
352 ✓	0.0820		
353 ✓	0.2650		
355 ✓	1.1840		

ग्राम का नाम : खटपुर  
खण्ड : (कमला)  
तहसील : गाविसागर  
जिल्ला : गाविसागर  
फसली नं. : 1422-1427  
भाग : 1

खता विवरण (अनुमानित प्रति)

खाना संख्या : 00988

902	0.5410
903	0.5700
923	1.3010
925	0.4200
926	0.3810
927	0.1180
928	0.0030
929	0.3550
931	1.4200
934	0.2560
935	0.4390
936	0.4420
937	1.1200
938	0.5190
939	0.0050
941	1.7790
943	1.2530
946	0.0380
947	0.0630
948	0.0500
949	0.0120
950	0.4440
951	0.5510
952	0.8870
954	0.1140
955	0.0500
960	0.1010
962	0.4170

## खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : सरयु	परतम : (कतमा)	तहसील : गण्डियागाद	जनसं : गण्डियागाद	फसली बंध : 1422-1427	भाग : 1	खता संख्या : 00380
984						0.3160
985						0.1260
971						0.4050
973						0.1910
974						0.4500
979						1.3670
980						0.4050
981						0.4170
982						0.3670
983						0.2530
984						0.2660
985						0.2660
986						0.4680
987						0.0630
988						0.1390
991						0.1010
992						0.0760
993						0.1260
994						0.1140
997						1.4900
999						0.1560
1000						0.1570
1001						0.1560
1002						0.5900
1003						0.3090
1004						0.1360
1005						0.0260
1005						0.0260

## खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

गुणक क्रम : क्रम	संख्या : (खता)	वर्गीकृत : गतिस्थान	कमर : गतिस्थान	फसली क्रम : 1422-1427	भाग : 1	खता संख्या : 00988
1005अ						0.0260
1005ब						0.0610
1005घ						0.0300
1005द						0.0600
1009						0.1070
1022अ						0.0630
1022ब						0.2830
1023अ						0.0510
1025अ						0.0380
1028						0.0410
1034अ						1.2075
1035						0.8780
1037अ						0.0550
1038						0.1260
1039						0.1480
1040						0.2530
1041						0.0890
1042						0.1770
1044						0.2800
1047अ						0.0130
1048						0.1120
1049						0.1010
1051						0.1320
1052अ						0.1140
1053						0.0540
1054अ						0.0630
1055						0.1010
1056						0.0380

N.H.-58 75.0M. MEERUT ROAD

POLCESTATION  
Area=3116.20Sqm  
28-9-22 by v.c.

POLICE CHAUKI  
Area=3087.90 Sqm  
(28-9-22) Approval by v.c.


POLICE THANA  
Area=2010.00 Sqm  
(Approx)

POLICE CHOWKI  
Area=3128.00 Sqm

14.02.15  
Approved by v.c.

Accordingly to  
Layout approved on  
14.02.15

SECRETARY  
T.D.O.  
T.H.D.  
S.P.  
I.F.  
S.M.V.  
M.A.N.









**BHULEKH**  
Uttar Pradesh

### खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : भरीडीपुर कन्वानी परतना : (तोलनी) तहसील : गाबियाबाद ज़िल्ला : गाबियाबाद फसली वर्ष : 1421-1426 भाग : 1 खता संख्या : 00001

खताएं का नाम / पिता पति संकेत का नाम / किसान स्थान

खसत संख्या

क्षेत्रफल  
(हे)

अवस्था

टिप्पणी

श्रेणी : 1 / देसी भूमि, जिसमें साकार अथवा गौबफा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी विसे 1950 ई. के उ. प. च. वि. एवं भू. च. अधि की धारा 117 -क के अधीन भूमि का प्रत्यय सीपा तथा शे, शेती करता है।  
गाबियाबाद विकास प्राधिकरण / . / .

घ. न. 226 में भूस्वाम्य का दर्जा

271 भि	0.0530	
140भ	0.1080	
144भ	0.1010	
147भ	0.0270	
328भ	0.0018	
290	0.1770	
250/2	0.1010	
149	0.1260	
151	0.0130	
488/2भ	0.0386	
339	0.3410	
323	0.0890	
323/705	0.1520	
324	0.2400	
309भ	0.4680	
311	0.2150	
312भ	0.1260	
318	0.3800	
308भ	0.0530	
310भ	0.1140	
310भ.	0.2650	

2377743/2023/ -9

ग्राम या खसत की प्रकृति (पूछे पाटा) के बाद भूत/विक्रय/भू-व्यवस्था) हेतु खसत संख्या पर बिलक को

Disclaimer: यह खसत माप अंशुलान्त माप है, नभसील कठोरता के - एका ही धारा सीलोजक की केन्द्र से खसत की प्रमाणित प्रति प्रमाणित की जा सकती है।





384५.	0.0630
268	0.3920
297६	0.2280
252	0.3920
253	0.3540
254	0.0380
260	0.4170
147६.	0.0107
204	0.0890
203६	0.0500
199	0.2780
228५.	0.2280
396	0.2400
400६	0.1260
400६.	0.0560
397६	0.2050
398५.	0.1710
435	0.3410
201	0.4170
409५	0.1870
416	0.2150
258	0.1640
456६	0.1740
141५	0.2400
148	0.0630
145	0.1010
208६.	0.0966
256/1	0.2780
457/2६	0.0674
300६	0.0250
302	0.3160

इसका उक्त खर्च की प्रतिलिपि (ग्राहक (ग्राहक) के बाद प्रस्ताव/विकल्प/प्रस्ताव) हेतु खर्चा संख्या पर विवरण का

Miscellaneous work of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi.



293	0.3540
285मि	0.1000
280	0.3280
279मि	0.1770
283मि	0.0380
284मि	0.0100
286	0.2530
412	0.0510
413मि	0.3790
415/2मि	0.5190
392	0.4430
393	0.3290
414	0.3410
385मि	0.1810
205	0.2910
228म	0.3160
263मि	0.3160
390मि	0.2120
389मि	0.0082
251	0.2400
167	0.1260
168	0.1260
247	0.2530
248	0.2530
262	0.2400
265	0.3540
267	0.0510
270	0.1770
272	0.2910
273	0.1520
275	0.2660

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (प्लॉट (गाटा) के चार तरफ विवरण /पू-नक्शा) हेतु खसरा संख्या पर विधिक करें

Disclaimers: यह सूचना केवल सूचना के लिए है। इस सूचना में कोई भी त्रुटि हो सकती है।

269मि	0.0760
139	0.0510
144मि	0.0250
142	0.2170
141मि	0.0443
301मि	0.3190
521	0.1640
522	0.1770
523	0.3290
524	0.3290
249	0.5690
384	0.1900
271म	0.1670
391मि	0.4470
384म	0.1260
140	0.0440
297मि	0.0120
143मि	0.0100
353मि	0.2220
250/1	0.2530
295मि	0.1260
200	0.2910
161	0.1010
512	0.0630
513	0.2780
229	0.2910
409मि	0.0160
410	0.1640
415मि	0.0130
417	0.2280
436	0.2280

कृषया उत्तम खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के चार ग्राम विभाग (मन्सूरगंज) के खसरे संख्या पर विवरण दर्शाने के लिए

Districameter नाम और है पाया अखिलेश्वरगंज है, मन्सूरगंज के ग्राम संख्या की प्रस्थिति के लिए



178	0.2400
166मि	0.3520
255	0.4170
261	0.5440
278मि	0.0510
496	0.0890
203मि	0.4060
518	0.0010
488/1मि	0.0250
539मि	0.1260
397म	0.0480
398म	0.0580
400मि	0.0510
348मि	0.0380
350मि	0.1770
271मि	0.0130
408मि	0.0760
407मि	0.0760
183	0.0890
188	0.1900
187मि	0.1640
484मि	0.1380
298/1मि	0.2343
298/2मि	0.2343
379मि	0.0263
288/1	0.0890
288/2	0.0890
256म/2	0.1330
256म/2	0.1330
457/1मि	0.0649

सूचना उक्त समीक्षा की प्रतिलिपि (सूचक (गणना) के बाद प्रकाशित/विनाश/सूचना) हेतु सूचना संख्या पर विचार करें

Disclaimer: This office is not responsible for any loss or damage caused by any person or entity using the information provided herein.





	381मि	0.4680	
	292मि	0.7330	
	352मि	0.0330	
	488मि	0.1534	
	488मि/2	0.0386	
योग	212	41.2300	



कृपया उक्त खमारे की प्रसिद्धि (भ्रूखंड (गाटा) के बाद प्रदात/विज्या/एल-सख्या) हेतु खससा संख्या पर नितिक करे

Disclaimer: उक्त अंकडे मात्र अवलोकनाय है, तदधीत काय्युटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/सोवनागी केन्द्र से खरण की प्रमाणीत प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



2377743/2023/

-9

✓159	1-11-0	1 कमरामय, बरामद, छत्रालेअर, 1 बोरिंग, 12 पापुलर, 3 कटठा, शीराम, 4 नीम
✓161	0-8-0	
✓162	0-13-0	एक बोरिंग
✓163	0-9-10	एक पापुलर
✓164	1-11-10	3 नीम, 1 शीराम, 1 कटठा, 2 पापुलर
✓165	1-14-3	2 नीम, 1 बोरिंग
✓166	1-7-17	
✓167	0-16-0	
✓168	0-10-0	
✓169	0-5-10	
✓170	0-15-0	
✓171	0-18-0	1 सफेदा, 3 नीम, 3 कटठा
✓172	0-13-0	
<del>173</del>	<del>0-8-0</del>	
<del>174</del>	<del>0-3-0</del>	
<del>175</del>	<del>2-3-0</del>	
✓178	0-19-0	
✓179	1-18-0	1 बोरिंग
✓180	1-6-0	
✓183	0-7-0	
✓184	0-12-0	
✓185	0-5-0	
✓186	0-12-0	
✓187M	0-13-0	
✓188	0-15-0	1 नीम, 1 बोरिंग
✓189	0-7-0	1 कटठा
✓191	0-15-0	
✓192	0-10-0	
✓193/1	0-2-0	
✓194	1-3-0	
✓195	0-18-0	
✓196	0-19-0	
✓197	0-7-0	
✓199	1-2-0	
✓200	1-3-0	1 कटठा
✓201	1-13-0	
✓202	1-1-0	मिट्टी खुदान
✓203	1-16-0	
✓204	0-7-0	
✓205	1-3-0	3 बराल, 1 कटठा, 8 नीम

237/43/2023/

208M	0-7-12	2 नीम, 2 सफदा, 3 अमरुद
228	2-3-0	
229	1-3-0	
230	1-6-0	
231	1-8-0	1 बबूल
232	0-2-0	
233	1-7-0	
236M	1-6-0	दो बाउण्डीवाल 108X144X1.74 फुट ऊंची, 2000 वर्गगज में भारतीय बाउण्डीवाल, 8 फुट 2 कमरा मय बरामदा, गटर सिल्ली, 1 इण्डपम्प, 3 कदवा, 1 अमरुद, 2 बबूल, 5 नीम, 3 बबूल, 1 अमरुद, 1 कदवा। बाउण्डीवाल चारो तरफ, 6 फुट 2 कमरा, 15X12 फुट गटर सिल्ली, 2 नीम, 1 शीशम।
237M	1-12-0	
239	1-3-0	
242	2-0-0	1 कदवा
246M	0-5-0	चारो तरफ बाउण्डीवाल, 3 फुट, 1 कमरा, 10X15 फुट, गटर सिलिया, 10 कदवा, 10 नीम, बराब।
247	1-0-0	
248	1-0-0	
249	2-5-0	1 इण्डपम्प, 2 कदवा, 1 गेट
250/1/2	1-8-0	
251	0-19-0	
252	1-11-0	दूसरी तरफ बाउण्डीवाल, 4 फुट, 4 नीम, 3 शीशम, 4 कदवा, 1 बोरिंग।
253	1-8-0	
254	0-3-0	
255	1-13-0	10 नीम, 4 शीशम, मिट्टी खुदान, 4 फुट
256/1/2	2-3-0	
258	0-13-0	
259	0-6-0	
260	1-13-0	
261	2-3-0	5 शीशम, 5 नीम, मिट्टी खुदान 4 फुट।
262	0-19-0	मिट्टी खुदान 4 फुट पूर्ण रकवा 10 शीशम, 8 नीम, 1 पीपल, 1 कुआ, पुराना।
263	1-16-0	
265	1-8-0	
267	0-4-0	4 शीशम, 5 नीम, मिट्टी खुदान 4 फुट।
268	1-11-0	8 नीम 5 शीशम
269	0-6-0	1 बोरिंग
270	0-14-0	
271	1-16-0	
272	1-3-0	
273	0-12-0	
274	1-5-0	1 बोरिंग
275	1-1-0	1 कदवा

2377743/2023/

276	1-11-0	
278	1-6-8	4 कमरा 10x15x9 फुट लैटर, 1 होज 12x10x4 फुट, 2 कटहल, 2 गुलमोहर, 18 शीशम, 12 नीम, 28 पापूलर, 1 सेमल, 4 अनार, 20 सन्तार, 1 अमरुद, 1 हैडपम्प, 8 खिन्नी, 12 पापूलर, 5 नीम, 7 गहुआ, 7 हमली, 1 खोर, 5x3 फुट।
279M	0-5-0	150 सागोन, बाउण्डीवाल, 895x8x9, 1 कमरा 15x7x8 टीनसेट, 9 फुट, 1 तालाब 30x30, 6 कमरा की नीव मरी है। 1 लोहे का गेट।
284M	1-9-3	45x35x10 में 4 कमरे, 2 बाथरूम, 1 किचिन, 4 स्वीमिंगपूल, 75x15 1 हैण्डपम्प, 1 बोरिंग 4", 4 अमरुद, 11 आम, 3 खड फाट, 81 सफेदा, 218 सागोन, 12 कटहल, 2 कदवा, 6 अनार, 40 फुसफरा, 2 पापूलर, 6 नीव, 1 कमरा 10x10, 1 ट्यूबेल, गाटर पट्टिया, बोरिंग 4", 2 कमरे 15x10x9 टीन सेट, 1240/8x9 बाउण्डीवाल।
287M	2-10-11	6 पापूलर, 4 जामुन, 47 आम, 2 कटहल, 1 सेमल, 1 कमरुद, 20x10 लैटर, 1 बोरिंग 4"।
288	0-14-0	1 शीशम, मिट्टी खुदान 3 फुट।
290	0-14-0	
292	2-18-0	1 कमरा बिना छत, 2 शीशम, 1 जामुन, 7 सफेदा, 4 नीम
293	1-8-0	21 सफेदा, 2 नीम
295M	0-9-12	1 बोरिंगमय कमरा 8x8 टीनसेट
296M	0-11-16	1 बोरिंगमय कमरा, 1 शीशम, 1 सफेदा 8x8x9 टीनसेट।
298M	1-17-0	5 शीशम
299M	1-2-0	6 शीशम
300M	0-2-0	10 नीम, 2 बेलपत्थर, 1 कदवा, 2 जामुन, 8 शीशम, 1 स्वीमिंगपूल, 1 बोरिंग 4", 1 आम, 4 अनार, 5 नीव, 1 मेकान, दो गोजिला, छत लैटर फर्स। हैण्डपम्प, 1 कमरा 15x8x8 छत टीनसेट चारों तरफ बाउण्डीवाल 6 फुट, कमरा 10x10 लैटर, 1 बोरिंग, 1 लोहे का गेट, 6 अमरुद, 7 कमरा।
301	1-11-0	कमरा 15x9x9 अत्यंत छत टीनसेट, 1 हैण्डपम्प, 4 सफेदा, 3 सागोन चारों तरफ बाउण्डीवाल 6 फुट, 1 गेट लोहे का।
302	1-5-0	
305	0-12-0	
306M	2-1-0	3 नीम, 2 शीशम।
307	1-16-0	3 शीशम
309M	0-6-12	
312M	1-19-0	
313M	0-5-8	
314M	0-13-0	
326M	1-1-0	2 शीशम, 10 अशोक, 2 बरगद।
327M	0-8-0	7 आम, 1 नीम, 20 अमरुद
328	0-16-0	
329M	0-14-12	2 अमरुद, 17 आम, 3 कदवा, 2 बेलपत्थर, 2 आंवला, 3 अजीर।

30-10/2

2377/3/2023/

339	1-7-0	7 कमरा बाउण्ड्रीवाल आदि।
348M	0-3-0	
350M	0-14-0	
353M	0-17-12	3 कमरा बिना पटा, 2 शीराम
371M	0-1-0	
379M	0-2-2	
380M	2-6-15	2 तरफ बाउण्ड्रीवाल 6 फुट।
381M	1-17-0	2 शीराम।
383M	3-5-0	8 कमरे, गाटर पटिया, 12 पापूलर, 1 कदवा, 2 लोहे के गेट, 1 नल, चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल, 1-8 फुट।
384	1-10-0	
385	2-3-0	1 शीराम
386	1-0-0	1 शीराम, 1 बोरिंग।
387M	1-7-4	1 शीराम।
389M	0-7-14	1 कमरा छत टैल, 1 बोरिंग।
390M	2-8-5	2 कमरा 10x12, प्रत्येक गाटर पटिया, 2 हेण्डपम्प, 1 कदवा, 10 नीम, 1 अनांर, 3 कदवा निर्माणधीन।
391M	2-2-0	1 कदवा, 1 नीम, 1 शीराम, 1 कुआ।
392	1-15-0	
393	1-6-0	
396	0-19-0	
397	1-0-0	
398	0-18-0	
400M	0-18-8	
406M	2-12-18	
409	0-16-0	
410	0-13-0	
412	0-4-0	
413M	1-10-0	1 शीराम, 1 कुआ पुराना।
414	1-7-0	1 कदवा
415M	2-2-0	
416	0-17-0	
417	0-18-0	
431	0-14-0	1 नीम
434	0-10-0	1 नीम
435	1-7-0	
436	0-18-0	
439	2-16-0	
450M	0-13-0	2 कमरा बिना पटा, 1 कदवा, बाउण्ड्रीवाल, 1 हेण्डपम्प
455	0-1-10	3 कमरे कडी पटिया, 1 शीराम, 1 नीम, 1 कदवा, बाउण्ड्रीवाल
456	0-13-15	3 कमरे बिना पटा, 25x18, प्रत्येक बाउण्ड्रीवाल 4
457M	0-10-10	72x8 बाउण्ड्रीवाल, 1 कमरा 15x10x6, छत कडी घोली।

47-8-2-15

482	2-1-0	50 गज 1 कमरा चार दीवारी 10', 2 कमरा तीन सेट, 1 नल, 2 बाउण्ड्रीवाल, 10' बाउण्ड्रीवाल, 85 गज प्लाट बाउण्ड्रीवाल, 1 कमरा 10x10, 300 गज प्लाट बाउण्ड्रीवाल तीनसेट। 50 गज, 1 कमरा छत तीनसेट, 1 नल, 150 गज, कमरा छत तीनसेट, लोहे का गेट, चार दीवारी 120 गज बाउण्ड्रीवाल, 8' नीम, 1 कठवा, 1 बबूल, 1 नल।
484M	0-10-19	1 कमरा 10x10, छत गाटर पटिया, रोप नीव मरी हुई 250 गज प्लाट दो मुकान छत लैटर 10x10, 300 गज प्लाट बाउण्ड्रीवाल, 10x10, 200 गज प्लाट, 1 कमरा तीनसेट, 300 गज प्लाट, 1 कमरा छत लैटर, 2 खोर, 4', 1 कमरा बिना छत चारों तरफ बाउण्ड्रीवाल, 1 लोहे का गेट, हैण्डपम्प, 200 गज प्लाट 4', 1 कमरा 10x10 तीनसेट, 1 हैण्डपम्प, 1 लोहे का गेट।
488M	1-0-0	1 कमरा 10x12 गाटर सिल्ली, 50 फुट बाउण्ड्रीवाल, 125 गज प्लाट बाउण्ड्रीवाल, तीन तरफ 2 फुट।
490M	3-5-0	
496	0-7-0	
503	0-14-0	
512	0-5-0	
513	1-2-0	
518	0-0-1	
521	0-13-0	
522	0-14-0	
523	1-6-0	
524	1-6-0	
539	0-10-0	
कुल योग	181-14-18-15 बीघा	प्लॉट नं. 113, 5918 एकड़

कर्मचारी प्रसिद्धता  
अमीन गांधीप्राठ  
गाजियाबाद।

सहायक अभियंता (प्लानिंग)  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

अधिराज अभियंता (प्लानिंग)  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

कर्मचारी प्रसिद्धता  
अमीन गांधीप्राठ  
गाजियाबाद।

कर्मचारी प्रदानकर्ता  
भूमि अर्जन अमीन  
प्रेटर नोएडा  
गौतमबुद्धनगर

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

अपर जिलाधिकारी (प्लानिंग)  
प्रेटर नोएडा, इकाई  
गौतमबुद्धनगर





1	2	3	4	5
गौतमबुद्धनगर-	लोनी-	महिउद्दीनपुर कानवाली	161	0-8-0
(क्रमशः)	(क्रमशः)	(क्रमशः)	162	0-13-0
Gautambudh-	Loni-	Mohiuddinpur-	163	0-9-10
Nagar		Kanavali	164	1-11-0
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	165	1-14-3
			166	1-7-17
			167	0-10-0
			168	0-10-0
			169	0-19-0
			170	0-15-0
			171	1-18-0
			172	0-13-0
			173	0-12-0
			174	0-7-0
			175	0-7-0
			176	0-7-0
			177	2-5-0
			178	0-19-0
			179	1-18-0
			180	1-6-0
			183	0-7-0
			184	0-12-0
			185	0-5-0
			186	0-12-0
			187 M	0-13-0
			188	0-15-0
			189	0-7-0
			191	0-15-0
			192	0-10-0
			193/1	0-7-0
			193/2 M	0-16-5
			194	1-3-0
			195	0-18-0
			196	0-19-0
			197	0-7-0
			199	1-2-0
			200	1-3-0
			201	1-13-0
			202	1-1-0
			203	1-16-0
			204	0-7-0
			205	1-3-0
			206/1	0-8-0
			207	19-9-0
			208 M	0-7-12
			226 M	17-11-14
			227 M	5-3-0
			228	2-3-0
			229	1-3-0
			230	1-6-0
			231	1-8-0


TRUE COPY ATTESTED /

संजय कुमार  
 तहसीलदार  
 आवाक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 28 नवम्बर, 2005

1	2	3	4	5
गौतमबुद्धनगर	लोनी	महिउव्दीनपुर कमावली	350 M	1-14-0
(कमरा)	(कमरा)	(कमरा)	351	2-8-0
Gautambudh-	Looni-	Mohiuddinpur	352 M	2-19-10
Nagar		Kanavali	353 M	0-17-12
(Contd.)	(Contd.)	(Contd.)	371 M	0-1-0
			374 M	0-2-2
			380 M	2-9-10
			381 M	1-17-0
			382	1-6-0
			383	4-17-0
			384	1-10-0
			385	2-3-0
			386	1-0-0
			387 M	1-7-1
			389 M	0-7-14
			390 M	2-8-6
			391	2-2-0
			392	1-15-0
			393	1-6-0
			394	1-12-0
			395	2-18-0
			396	0-19-0
			397	1-0-0
			398	0-18-0
			399	1-8-0
			400 M	0-18-8
			406 M	3-5-16
			407 M	1-12-8
			408	1-16-0
			409	0-16-0
			410	0-13-0
			411	1-5-0
			412	0-4-0
			413	1-17-0
			414	1-7-0
			415	2-2-0
			416	0-17-0
			417	0-18-0
			418	1-0-0
			419 M	1-15-0
			420 M	0-8-0
			431	0-14-0
			432	0-13-0
			433	0-15-0
			434	0-10-0
			435	1-7-0
			436	0-18-0
			437	1-1-0
			438	0-8-0
			439	2-16-0

TRUE COPY ATTESTED

  
 अजय कुमार  
 सहायक  
 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

1	2	3	4	5
गौतमबुद्धनगर-	लोनी-	महिउददीनपुर कनावनी-	440	4-7-0
(समाप्त)	(समाप्त)	(समाप्त)	441	2-5-0
Gautambudh-	Loani-	Mohiuddiinpur-	447	0-13-0
Nagar		Kanavani	448	1-7-0
(Concl.d.)	(Concl.d.)	(Concl.d.)	449	2-9-0
			450 M	0-13-0
			451 M	0-11-5
			452	1-2-0
			453	0-12-0
			454	1-13-0
			455	0-19-0
			456	1-9-0
			457 M	0-10-10
			458 M	0-12-0
			459 M	0-9-0
			463	1-6-0
			482 M	8-14-0
			483 M	1-18-0
			484 M	1-7-0
			487	2-6-0
			488 M	6-0-0
			490 M	3-5-0
			491	0-17-0
			494	0-9-0
			495	0-16-0
			496	0-7-0
			497	1-4-0
			501 M	0-8-0
			502	0-6-0
			503	0-14-0
			504	0-18-0
			510	1-0-0
			511	0-17-0
			512	0-5-0
			513	1-2-0
			514	0-17-0
			515	1-1-0
			516	0-16-0
			517	1-0-0
			518 M	0-0-1
			521	0-13-0
			522	0-14-0
			523	1-6-0
			524	1-6-0
			539	1-16-0
			कुल ग्रॉस GRAND TOTAL	367-5-5 बीघा Bigha Or/घा 229.5390 एकड़ Acres

TRUE COPY ATTESTED

संजय कुमार  
तहसीलदार  
ग्राम विकास प्राधिकरण

किसा प्रयोजन हेतु आवश्यकता है - सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा आयासीय कॉलोनी बनाने हेतु।

*For what purpose required* - For the construction of residential colony under planned development scheme by Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad.

टिप्पणी :- भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, गौतमबुद्धनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

NOTE :- A site plan of the land may be inspected in the Office of the Collector, Gautambudh Nagar.

आदेशित  
सुरजीत कौर संधू  
प्रमुख सचिव।

By order,  
SURJIT KAUR SANDHU,  
Pranukti Sachiv.

TRUE COPY ATTESTED

संजय कुमार  
तहसीलदार  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (मुआंजा) ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

घोषित अभिनिर्णय

1	वाद संख्या	:	14/2004
2	राम का नाम	:	मातीउवडीनपुर कन्वैनी
3	परगना	:	सोनी
4	तहसील	:	दादरी
5	जनपद	:	गौतमबुद्धनगर
6	अर्जन निकाय का नाम	:	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
7	परिचय	:	जनपद गौतमबुद्धनगर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एनियोमित विकास हेतु भूमि का स्थायी अर्जन
8	क्षेत्रफल (क) प्रस्तावित (ख) धारा 4/17 में निहित क्षेत्रफल (ग) धारा 6/17 में निहित क्षेत्रफल (घ) कच्चा हस्तांतरित क्षेत्रफल अन्तर् का कारण	:	367-5-5 बीघा या 229.5390 एकड़ 367-5-5 बीघा या 229.5390 एकड़ 367-5-5 बीघा या 229.5390 एकड़ 181-14-18-15 बीघा या 113.5918 एकड़ माओ उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण।
9	धारा-4 की विज्ञप्ति संख्या- (क) असाधारण गजट में प्रकाशन दि० (ख) दो स्थानीय समाचार पत्रों प्रकाशन (ग) स्थानीय सूचना दिनांक	:	2679/9-आ-3-2004-90 एल०ए०-2004 तखनऊ दिनांक 16.10.2004 1. अमर उजाला में दिनांक 22.10.04 2. दैनिक जागरण में दिनांक 22.10.04 दिनांक 2.12.04
10	धारा 6/17 की विज्ञप्ति संख्या व दिनांक (क) असाधारण गजट में प्रकाशन दि० (ख) दो समाचार पत्रों में प्रकाशन दि० (ग) स्थानीय सूचना / मुद्रणी दि०	:	4727/8-3-2005-90 एल०ए०-2004 तखनऊ दिनांक 28.11.05 1. दैनिक जागरण दिनांक 01.12.05 2. अमर उजाला दिनांक 01.12.05 दिनांक 1.12.05
11	धारा -9 की सुनवाई दिनांक	:	दिनांक 19.01.2006
12	कच्चा परिवर्तन दिनांक व क्षेत्रफल	:	दिनांक 14.09.06/181-14-18-15 बीघा या 113.5918 एकड़
13	घोषित अभिनिर्णय का दिनांक	:	21.04.2012
14	क्या जमींदारी अधिनियम के प्राविधान लागू है	:	लागू है।
15	क्या धारा 17 लागू है	:	लागू है।
16	मू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण	:	312.25 प्रति वर्ग मीटर
17(A)	भूमि का प्रतिकर	:	12,02,92,388.00
17(B)	30 प्रतिशत सीलेशियम	:	3,60,87,716.00
17(C)	12 प्रतिशत आतिरिक्त प्रतिकर धारा-4 के अंतिम दिनांक 2.12.04 से कच्चे के दिनांक 14.09.06 तक कुल 651 दिन	:	2,57,45,867.00
17(D)	कुल योग	:	18,21,25,971.00
18A	मू-अर्जन अधिनियम की धारा 11(2) के अन्तर्गत प्रतिकर की घनराशि	:	7,45,75,756.00

*(Handwritten Signature)*

19	धारा 11(1) व धारा 11(2) के अन्तर्गत भूमि प्रतिकर की धरणा (17d+18A)	25.07.01.727.00
20	पूजोक्त मूल्य	47,353.60

### अभिनिर्णय का औचित्य

जिला गौतमबुद्धनगर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास हेतु राजस्व महीउददीनपुर कनावनी, परगना सोनी, तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर की 229.5390 एकड़ भूमि अर्जन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अर्जन निष्पन्न द्वारा भूमि की तत्काल आवश्यकता व्यक्त करते हुए धारा लागू करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव की आवश्यक जांच पडताल के उपरान्त भूमि अधिनियम की धारा-4(1) संपत्ति धारा 17 के प्राविधान लागू करने की संसूक्ति करते हुए प्रस्ताव को अध्यापति निदेशालय, राजस्व परिषद उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से धारा-4/17 जारी किये जाने हेतु शा को संदर्भित किया गया।

शासन द्वारा प्रस्ताव की आवश्यक छानबीन करते हुए भूमि की तत्काल आवश्यकता दृष्टिगत रखते हुए भू०अ० अधिनियम की धारा 4(1)/17 के अन्तर्गत अधिसूचना विज्ञप्ति सं० 2679/9-आ-3-2004-90 एत०प्र०-2004 लखनऊ दिनांक 16.10.04 को जारी की गयी, जिस असाधारण गजट में प्रकाशन दिनांक 16.10.04 को कराया गया। विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 22.10.04 एवं दैनिक जागरण में दिनांक 22.10.04 को प्रकाशन कराया गया सर्वसाधारण की सूचना हेतु स्थल पर आम सूचना (मुनादी) दिनांक 2.12.04 को कराई गयी।

विज्ञप्ति धारा 4/17 की समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त भूमि अध्यापति अधिनियम की धारा 6/17 की विज्ञप्ति शासन से जारी कराने हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया शासन द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 6/17 की अधिसूचना संख्या 4727/8-3-2005-90 एत०प्र०-2004 लखनऊ दिनांक 28.11.05 को जारी की गई। जिसका असाधारण गजट में दिनांक 28.11.05 को प्रकाशन कराया गया। विज्ञप्ति का दो दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में दिनांक 01.12.05 एवं दैनिक जागरण में दिनांक 01.12.05 को प्रकाशन कराया गया। सर्वसाधारण की सूचना हेतु स्थल पर आम सूचना (मुनादी) दिनांक 01.12.05 को कराई गयी।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9(1,2,3) के अन्तर्गत हितबद्ध भू-स्वामियों को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.01.2006 तिथि नियत करते हुए व्यक्तिगत नोटिस जारी किये गये। भू-स्वामियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का विवरण एवं निस्तारण निम्नवत है:-

आपत्ति संख्या-1 श्री देवी सिंह, प्रसादीलाल पुत्रगण छीतर व धर्मवीर पुत्र मान सिंह निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 252,253,254 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-2 श्री लाला व सुतीशचन्द निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 249 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-3 श्री खैराती, बीरबल पुत्रगण गोविन्द व रतन सिंह पुत्र रिसाल निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 232 व 233 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में









पांढे दर पांढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-34 श्री मूरी निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 482/2 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-35 श्री ब्रह्मी पुत्र बुद्धन आदि निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 236-व 237 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-36 श्री रामकिशन, पम्पू, राजे, राजपाल, जगो पुत्रगण गुन्ना आदि निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 482/2 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-37 श्री फतेह सिंह, हीरे व तुलसीराम पुत्रगण रिछपाल सिंह निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 236 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण ने कूड़ी बिटौडा व भूंगा आदि बना रखे हैं। व आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

आपत्ति संख्या-38 श्री देवचन्द, दीपचन्द व महेन्द्र पुत्रगण दाताराम व सुखवीर सिंह आदि निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 503 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि उक्त गाटे में प्रार्थी की पुरानी आबादी बनी है। जिसे प्रार्थीगण पीढी दर पीढी आबादी के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण की उक्त अर्जित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाये।

**निस्तारण-** आपत्ति संख्या-38 में ग्राम-महीउददीनपुर कनावनी के अर्जन प्रस्ताव में सम्मिलित भूमि में आबादी बढ़ते हुए भूमि को अर्जन से पृथक् किये जाने का अनुरोध किया गया है। सभी आपत्तियां एक ही प्रकृति की हैं तथा एक ही अर्जन प्रस्ताव से सम्बन्धित हैं। जिस कारण सभी आपत्तियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित अर्जन प्रस्ताव सम्यक् जांच एवं स्थलीय निरीक्षण उपरान्त कलेक्टर द्वारा प्रेषित गारंटी एवं पत्रावली पर उल्लेख्य अभिलेखों का सम्यक् परीक्षण करने के उपरान्त subjective satisfaction के आधार पर शासन द्वारा अर्जेंन्सी क्लोज़ लगाई गई है। अर्जेंन्सी क्लोज़ लगाए जाने के कारण भूमि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त हो जाता है। नियमानुसार अर्जन की समस्त कार्यवाही करते हुए अर्जित भूमि का कब्जा अर्जन निकाय को दिनांक 14.09.06 को दिया जा चुका है। भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार/निकाय में निहित हो चुकी है। इस प्रकार उक्त आपत्ति नियमानुसार धारणीय नहीं है। तदनुसार निस्तारित की जाती है।

आपत्ति संख्या-39 श्री सन्डवा पुत्र यादराम निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 439 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आपासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिफल 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-40 श्री जयराम, जयपाल, जयकिशन पुत्रगण आशाराम आदि निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 447,448,439,305,384,521,522,523,524,439 व 449 के

सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व देहली राज्य की सीमा से लगी प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-41 श्री रामपाल पुत्र तारा निवासी बादौली बांगर, ने खसरा संख्या 490 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व देहली राज्य की सीमा से लगी हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पास बहुमजलीय आवासीय व व्यवसायिक भवन बने हुए हैं। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-42 श्री तरसेमचन्द पुत्र श्री अमरनाथ, अमित कुमार, अजय कुमार व उदय [1] पुत्रगण डालचन्द निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 297मि0 व 287मि0 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व देहली राज्य की सीमा से लगी हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पास बहुमजलीय आवासीय व व्यवसायिक भवन बने हुए हैं। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-43 श्री सेलकराम, रमेश, महेश, सतीश पुत्रगण सूरु सिंह आदि निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 383मि0 व 496 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व देहली राज्य की सीमा से लगी हुई है। प्रार्थी की उक्त भूमि के पास बहुमजलीय आवासीय व व्यवसायिक भवन बने हुए हैं। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-44 श्री चरन सिंह, भगत सिंह, घमन सिंह व जगत सिंह निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 439म,487 व 488/1मि0 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 15000.00 प्रति वर्गमीटर की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-45 श्री चरन सिंह पुत्र स्व0 शीशराम निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 285मि0 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 25000.00 प्रति वर्गमीटर की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-46 श्री सतीशचन्द पुत्र गोपीचन्द, कैलाशचन्द पुत्र टेकराम निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 202 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-47 श्री राजवीर सिंह पुत्र गुरुदयाल नवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 229 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-48 श्री चरन सिंह पुत्र शीशराम निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 285मि के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 25000.00 प्रति वर्गमीटर व आवासीय निर्माण की लागत 800.00 रु0 प्रति वर्ग फुट की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-49 श्री रामकिशन पुत्र मनफूल, सतीश, सीताराम, श्रीपाल, सतेन्द्र पुत्रगण भूलेराम निवासीगण ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 183 व 187 व 188 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।



23/ -9 आपत्ति संख्या-50 श्री सुन्दर सिंह पुत्र देकराम गिवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 391मि० के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-51 श्री रतन सिंह पुत्र रिसाल सिंह निवासी ग्राम महीउददीनपुर कनावनी ने खसरा संख्या 200 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-52 श्री गौरी डालमिया आदि ने ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के खसरा संख्या 335,347,348,350मि० व 351 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 6000.00 प्रति वर्गमीटर की दर से दिया जाये।

आपत्ति संख्या-53 श्री सुरजप्रसाद सिंह ने ग्राम महीउददीनपुर कनावनी के खसरा संख्या 352 के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 6000.00 प्रति वर्गमीटर की दर से दिया जाये।

निस्तारण- आपत्ति संख्या-39 लगायत 53 में ग्राम-महीउददीनपुर कनावनी के अर्जन प्रस्ताव में इस सम्बन्धित भूमि के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि प्रश्नगत भूमि काफी अधिक मूल्यवान है व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना, इन्दिरापुरम, वैशाली से मिली हुई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर 10000.00 से 15000.00 प्रति वर्गगज की दर से दिया जाये।

प्रश्नगत प्रस्ताव में प्रतिकर का निर्धारण शासनादेश संख्या 1718/1-13-2003/20(124)/ 2001रा-13 दिनांक 29.09.01 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति की बैठक कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें श्री शिवाकान्त द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), श्री राजकुमार सचान, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, श्री तेज सिंह यादव, उप निबन्धक-द्वितीय, गौतमबुद्धनगर व श्री एस० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता (पू०अ०), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, सदस्य थे। उक्त बैठक में कृषकों के करार नियमावली के अन्तर्गत 1000.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से प्रतिकर निर्धारण किया जा चुका है। जिसके अनुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की गई है। अतः अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारित दर से अधिक दिया जाना सम्भव नहीं है। तदनुसार निस्तारित की जाती है।

#### अर्जित व कब्जा हस्तान्तरित भूमि का विवरण

क्रम संख्या	खसरा संख्या	अर्जित क्षेत्रफल (बीघा में)	करार का क्षेत्रफल	गैर करार का क्षेत्रफल
1	139	0-4-0		0-4-0
2	140मि०	0-12-0		0-12-0
3	141मि०	1-5-0	0-19-0	0-6-0
4	142	0-17-4		0-17-4
5	143	0-0-16		0-0-16
6	144	0-10-0		0-10-0
7	145	0-8-0	0-8-0	
8	146	0-8-0		0-8-0
9	147	0-3-0		0-3-0
10	148	0-5-0	0-5-0	

8.

11	149	0-10-0		0-10-0
12	151	0-1-0		0-1-0
13	155	0-1-12		0-1-12
14	156	1-15-0		1-15-0
15	158	0-12-0		1-12-0
16	159	1-11-0	1-11-0	
17	161	0-8-0		0-8-0
18	162	0-13-0	0-13-0	
19	163	0-9-10	0-9-10	
20	164	1-11-10	1-11-0	0-0-10
21	165	1-14-3		1-14-3
22	166	1-7-17	1-7-17	
23	167	0-10-0		0-10-0
24	168	0-10-0		0-10-0
25	169	0-5-10		0-5-10
26	170	0-15-0	0-15-0	
27	171	0-18-0	0-18-0	
28	172	0-13-0	0-13-0	
29	173	1-14-0	1-14-0	
30	175	0-3-0	0-3-0	
31	176	0-3-0	0-3-0	
32	177	2-5-0	2-5-0	
33	178	0-19-0	0-19-0	
34	179	1-18-0		1-18-0
35	180	1-6-0	1-6-0	
36	183	0-7-0	0-3-10	0-3-10
37	184	0-12-0	0-12-0	
38	185	0-5-0	0-5-0	
39	186	0-12-0	0-12-0	
40	187/10	0-13-0	0-6-10	0-6-10
41	188	0-15-0	0-7-10	0-7-10
42	189	0-7-0	0-7-0	
43	191	0-15-0	0-15-0	
44	192	0-10-0	0-10-0	
45	193.1	0-2-0	0-2-0	
46	194	1-3-0	0-10-0	0-13-0
47	195	0-18-0	0-12-0	0-6-0
48	196	0-19-0	0-12-13-6/1/3	0-6-6-13/7/3

9

2377743/2023/9	197	0-1-0	0-4-13-6/1/3	0-2-6-13/2/3
50	199	1-2-0		1-2-0
51	200	1-3-0		1-3-0
52	201	1-13-0		1-13-0
53	202	1-1-0		1-1-0
54	203	1-16-0		1-16-0
55	204	0-7-0		0-7-0
56	205	1-3-0	1-3-0	
57	208मि0	0-7-12		0-7-12
58	228	2-3-0	1-5-0	0-18-0
59	229	1-3-0		1-3-0
60	230	1-6-0		1-6-0
61	231	1-8-0		1-8-0
62	232	0-2-0		0-2-0
63	233	1-7-0		1-7-0
64	236मि0	1-6-0		1-6-0
65	237मि0	1-12-0		1-12-0
66	239	1-3-0		1-3-0
67	242	2-0-0		2-0-0
68	246मि0	0-5-0		0-5-0
69	247	1-0-0		1-0-0
70	248	1-0-0		1-0-0
71	249	2-5-0		2-5-0
72	250/1/2	1-8-0	1-0-0	0-8-0
73	251	0-19-0		0-19-0
74	252	1-11-0		1-11-0
75	253	1-8-0		1-8-0
76	254	0-3-0		0-3-0
77	255	1-13-0		1-13-0
78	256/1/2	2-3-0		2-3-0
79	258	0-13-0	0-6-10	0-6-10
80	259	0-6-0		0-6-0
81	260	1-13-0		1-13-0
82	261	2-3-0		2-3-0
83	262	0-19-0		0-19-0
84	263	1-16-0	1-16-0	
85	265	1-8-0		1-8-0
86	267	0-4-0		0-4-0



10

87	268	1-11-0		1-11-0
88	269	0-6-0		0-6-0
89	270	0-14-0		0-14-0
90	271	1-16-0	0-5-14-10	1-10-5-10
91	272	1-3-0		1-3-0
92	273	0-12-0		0-12-0
93	274	1-5-0		1-5-0
94	275	1-1-0		1-1-0
95	276	1-11-0		1-11-0
96	278	1-6-8		1-6-8
97	279 मि	0-5-0		0-5-0
98	284 मि	1-9-3		1-9-3
99	287 मि	2-10-11		2-10-11
100	288	0-14-0		0-14-0
101	290	0-14-0		0-14-0
102	292	2-18-0		2-18-0
103	293	1-8-0		1-8-0
104	295 मि	0-9-12		0-9-12
105	296 मि	0-11-16		0-11-16
106	298 मि	1-17-0		1-17-0
107	299 मि	1-2-0		1-2-0
108	300 मि	0-2-0		0-2-0
109	301	1-11-0		1-11-0
110	302	1-5-0		1-5-0
111	305	0-12-0		0-12-0
112	306 मि	2-4-0		2-4-0
113	307	1-16-0		1-16-0
114	309 मि	0-6-12		0-6-12
115	312 मि	1-19-0		1-19-0
116	313 मि	0-5-8		0-5-8
117	314 मि	0-13-0		0-13-0
118	326 मि	1-1-0		1-1-0
119	327 मि	0-8-0		0-8-0
120	328	0-16-0		0-16-0
121	329 मि	0-14-12		0-14-12
122	339	1-7-0		1-7-0
123	348 मि	0-3-0		0-3-0
124	350 मि	0-14-0		0-14-0

2

11

125	353 मि	0-17-12		0-17-12
126	371 मि	0-1-0		0-1-0
127	379 मि	0-2-2		0-2-2
128	350 मि	2-6-3-15		2-6-3-15
129	381 मि	1-17-0		1-17-0
130	383 मि	3-5-0		3-5-0
131	384	1-10-0		1-10-0
132	385	2-3-0	0-14-7	1-8-13
133	386	1-0-0		1-0-0
134	387 मि	1-7-4		1-7-4
135	389 मि	0-7-14		0-7-14
136	390 मि	2-8-6		2-8-6
137	391 मि	2-2-0		2-2-0
138	392	1-15-0		1-15-0
139	393	1-6-0		1-6-0
140	396	0-19-0		0-19-0
141	397	1-0-0		1-0-0
142	398	0-18-0		0-18-0
143	400 मि	0-18-8		0-18-8
144	406 मि	2-12-18		2-12-18
144	409	0-16-0		0-16-0
145	410	0-13-0		0-13-0
146	412	0-4-0		0-4-0
147	413 मि	1-10-0		1-10-0
148	414	1-7-0		1-7-0
149	415 मि	2-2-0		2-2-0
150	416	0-17-0		0-17-0
151	417	0-18-0		0-18-0
152	431	0-14-0		0-14-0
153	434	0-10-0		0-10-0
154	435	1-7-0		1-7-0
155	436	0-18-0		0-18-0
156	439	2-16-0		2-16-0
157	450 मि	0-13-0		0-13-0
158	455	0-1-10		0-1-10
159	456	0-13-15	0-6-17-10	0-6-17-10
160	457 मि	0-10-10		0-10-10
161	482	2-1-0		2-1-0



162	484 मि	0-10-19		0-10-19
163	488 मि	1-0-0	0-11-18	0-8-2
164	490 मि	3-5-0		3-5-0
165	496	0-7-0		0-7-0
166	503	0-14-0		0-14-0
167	512	0-5-0		0-5-0
168	513	1-2-0		1-2-0
169	518	0-0-1		0-0-1
170	521	0-13-0		0-13-0
171	522	0-14-0		0-14-0
172	523	1-6-0		1-6-0
173	524	1-6-0		1-6-0
174	539	0-10-0		0-10-0
	कुल योग	81-14-18-15		152-5-8-2/1/3
		बाघा या 113.	29-9-10-12/2/3	
		6915 एकड		

#### प्रतिकर निर्धारण एवं विवेचना

प्रसंगत प्रस्ताव में प्रतिकर का निर्धारण शासनादेश संख्या i718/1-13-2001/20(124)/2001रा-13 दिनांक 29.09.01 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समिति की बैठक कैम्प कार्यालय में सम्पन्न हुई जिसमें श्री शिवाकान्त द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०), श्री राजकुमार संचान, सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, श्री तेज सिंह यादव, उप निबन्धक-द्वितीय, गौतमबुद्धनगर व श्री एस० के० सिंह, अधिशासी अभियन्ता (भू०अ०), गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद, सदस्य थे। उक्त बैठक में प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया कि कृषकों को करार नियमावली के अन्तर्गत 1000.00 रु प्रति वर्ग मीटर से प्रतिकर दिया जाना समीचीन होगा। जिसके अनुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की गई है। वितरित प्रतिकर का विवरण निम्नवत है:-

निहित भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (बीघा) में	दर प्रति वर्ग मीटर	आंकलित प्रतिकर
करार के अन्तर्गत	29-9-10-12/2/3	1000.00	7,45,75,756.00

जिन भू-स्वामियों द्वारा प्रतिकर उ० प्र० भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा एवं अभिनिर्णय की घोषणा) नियमावली 1997 के अन्तर्गत करार निष्पादित नहीं किया है, उनके लिए सामान्य अर्जन प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधि बैनामा के घयन एवं दर निर्धारण हेतु राजस्व ग्राम-महीउददीनपुर कनावनी में धारा 4/17 के प्रकाशन दिनांक तिथि 02.12.04 तीन वर्ष पूर्व में निष्पादित हुए विक्रय पत्रों का संकलन कार्यालय के अमीन श्री रामपाल सिंह द्वारा सब रजिस्ट्रार कार्यालय, नोएडा से कराया गया जो अनुसूची-2 पर लिपिबद्ध किये गये हैं। इस अवधि में निष्पादित हुए बैनामों की संख्या 229 है।

इस अवधि में निष्पादित कुल 230 विक्रय पत्रों में क्रमांक 13 से 16, 19 से 22, 24, 25, 29, 32, 34, 37, 46, 53, 56, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 98 से 103, 105 से 111, 114, 115, 117 से 122, 124, 125, 126, 127, 130, 133, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 147, 149, 155, 161, 162, 165, 166, 167, 169, 170, 173, 176, 177, 178, 179, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 224, 225, 226 व 227 अंकित विक्रय पत्र का रकबा (29.2740 से

*[Handwritten signature]*

588.62) ग्रांमों में है। भूमि छोटे-छोटे प्लॉटों के रूप में विक्रय किया गया है। जिस कारण ये विक्रय पत्र अत्याधिक दर प्रदर्शित करते हैं। भूमि का विक्रय आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया गया है। जिस कारण इन विक्रय पत्रों को मात्रा एवं समानता के दृष्टिकोण से प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में घयन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अनुसूची-2 के क्रमांक 8,9,42,113,57,76,87,91,123,129,150,152,157,158,163,171,172,192 व 228 पर अंकित विक्रय पत्र की दर (11.66 से 298.91) के अन्दर है, जिस कारण उक्त दर भी अन्य अर्जित भूमि के बाजार भाव को प्रदर्शित नहीं करती है।

अनुसूची-2 के क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,17,18,23,26,27,28,30,31,33,35,36,38,39,40,41,44,45,47,48,49,50,51,52,54,55,58,59,60,61,62,63,64,66,70,74,75,78,80,81,86,88,92,96,104,112,113,116,128,131,132,134,137,139,141,144,145,153,154,156,159,160,164,174,175,183,184,194,195,197,202,205,206,212,217,218,219,220,221,222,229,223 पर अंकित विक्रय पत्र की दरें (419.96 से 2200.58) प्रति वर्ग मीटर अधिक होने के कारण अर्जित भूमि का बाजार दर घयन करने हेतु घयनित नहीं किया जाता है।

अनुसूची के क्रमांक 168,182 व 193 पर अंकित विक्रय पत्रों का क्षेत्रफल अंकित नहीं है, जिस कारण दर निकालना सम्भव नहीं है।

अब अनुसूची-2 के क्रमांक 146,148, व 180 पर अंकित विक्रय पत्र शेष बचते हैं। ये सभी बैनामा कृषि भूमि के हैं तथा रु 312.25 से से रु 396.08 के मध्य निष्पादित हुए हैं। इनमें क्रम संख्या 148 पर अंकित बैनामा जो श्री धर्म सिंह पुत्र. रामलाल आदि निवासी गाजियाबाद के द्वारा जय प्रकाश गोयल पुत्र लाला ब्रह्मानन्द के पक्ष में गाटा संख्या 408 रकबा 1-10-0 बीघा दिनांक 25.03.04 को रु 11,85,000.00 में निष्पादित हुआ है, की दर रु 312.25 आती है। यह बैनामा धारा 4/ 17 की विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि 16.10.2004 के निकट का है, अधिक रकबे का है, एवं अर्जित भूमि के अन्तर्गत स्थित भूमि का है। उक्त बैनामा अर्जित भूमि का बाजार मूल्य दर्शाने में सक्षम है। इस कारण उक्त बैनामा को प्रतिनिधि बैनामा के रूप में घयन किया जाता है।

परिशिष्ट-2 के क्रमांक 148 पर अंकित घयनित विक्रय पत्र के आधार पर भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अन्तर्गत बगैर करार की भूमि का प्रतिकर निम्नांकित तालिका के अनुरूप आता है।

क्रमांक	सम्बन्धित भूमि की प्रकृति	अर्जित रकबा (बीघा) में	आंकलित घनराशि
1	बगैर करार का प्रतिकर दर 312.25 रु प्रति वर्ग गज	152-5-8-2/1/3	12,02,92,388.00
2	30 प्रतिशत सौलोशियम		3,60,87,716.00
3	12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल धारा की अन्तिम तिथि 02.12.04 से कब्जे की तिथि 14.09.06 (649 दिन)		2,57,45,867.00
	योग		18,21,25,971.00

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का मतीमांति परीक्षण कर लिया गया है, फिर भी इस अभिनिर्णय में सम्मिलित किसी छत्रा नम्बरो/क्षेत्रफल के सम्बन्ध में यदि किसी माओ सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश हो तो यह अभिनिर्णय माओ सक्षम न्यायालय के आदेशों से आघदित भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा।

जिन भू-स्वामियों द्वारा करार नियमावली के अन्तर्गत करार पत्र प्रस्तुत कर प्रतिकर प्राप्त किया गया है उन्हें इस अभिनिर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।

ब्याज की घनराशि:- प्रश्नगत प्रकरण में 29-9-10-12/2/3 बीघा भूमि के करार पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। करार के अन्तर्गत वितरित प्रतिकर पर ब्याज देय नहीं है। शेष 152-5-8-2/1/3 बीघा भूमि के सम्बन्धित

9

भू-स्वामियों द्वारा फरार प्रपय प्रकृत चडी किये गये हैं। अतः 152-5-8-2/1/3 बीघा भूमि के प्रतिफल पर निम्नानुसार ब्याज देय होगा। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-11(1) के अन्तर्गत घोषित अभिनिर्णय की धनराशि पर कब्जे के दिनांक से एक वर्ष तक 9 प्रतिशत तथा उसके पश्चात अभिनिर्णय के दिनांक तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से नियमानुसार ब्याज देय होगा।

भू-अर्जन व्यय :- अभिनिर्णीत धनराशि की 10 प्रतिशत अर्जन व्यय सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य:- मालगुजारी का 40 गुना (1183.84X 40 =47,353.60) पूँजीकृत मूल्य सम्बन्धित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

अर्जित भूमि में अवस्थित परिसम्पत्तियों (वृक्ष, बोरिंग तथा भवन आदि) की मूल्यांकन आख्या सम्बन्धित विशेषज्ञ विभाग से प्राप्त प्राप्त नहीं हो सकी है। मूल्यांकन आख्या प्राप्त होने पर परिसम्पत्तियों के प्रतिफल का पुनः प्राप्त मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। मूल्यांकन आख्या अभिनिर्णय का अंग रहेगी।

प्रश्नगत भू-अर्जन प्रस्ताव में क्षेत्रफल एवं धनराशि की गणना श्री रामपाल सिंह, अमीन के द्वारा एवं अभिनिर्णय श्री प्रशान्त कुमार अहलमद द्वारा तैयार किया गया है। लेखा का मिलान लेखा-लिपिक श्री कमल सिंह के द्वारा किया गया है। पर्यवेक्षण श्री अनिल कुमार तहसीलदार के द्वारा किया गया है।

उपरोक्त सूची के अनुसार कुल प्रतिफल 25,67,01,727.00 (रु० पच्चीस करोड़ सड़सठ लाख एक हजार सात सौ सत्ताइस रुपये मात्र) बनता है। जिस पर 10 प्रतिशत भू-अर्जन व्यय की धनराशि 2,56,70,173.00 (दो करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार एक सौ तिहत्तर रुपये मात्र) तथा अर्जित भूमि के देय लगान के 40 गुना (1183.84X 40 =47,353.60) धनराशि निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कराई जायेगी।

प्रश्नगत भू-अर्जन प्रस्ताव में क्षेत्रफल एवं धनराशि की गणना श्री रामपाल सिंह, अमीन जिसकी जांच श्री प्रशान्त कुमार अहलमद द्वारा की गयी है व जांच श्री सुशील कुमार चौबे, तहसीलदार द्वारा की गई है।

प्रश्नगत प्रकरण में अर्जन-नियंत्रण को कब्जा दिनांक 14.09.06 को दिया जा चुका है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 11-ए में अभिनिर्णय हेतु दो वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में धारा-6 की कार्यवाही में धारा 17, भूमि अर्जन अधिनियम के प्राविधान लागू करके भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है और भूमि राज्य सरकार में और तदोपरान्त यथा स्थिति निष्पत्ति में निहित हो गई है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री सुब्रह्मण्यम प्रसाद जैन बनाम स्टेट ऑफ यू0पी, जजमेन्ट टूडे, 1993 (5) एस0 सी0 385, में पारित निर्णय, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

"When Section 17(1) is applied by reason of urgency Government takes possession of the land prior to the making of the award under Section 11 and thereupon the owner is divested of the title to the land which is vested in the Government. Section 17(1) states so in unmistakable terms. Clearly, section 11-A can have no application to cases of acquisitions under section 17 because the lands have already vested in the Government and there is no provision in the said Act by which land statutorily vested in the Government can revert to the owner."

के आलोक में निर्गत शासनादेश संख्या 6-3(1)/93-2 02 रा0-13 दिनांक 30 नवम्बर, 1993 के अनुसार धारा-11ए के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

अतः उपरानुसार ग्राम महीउददीनपुर कनावनी, परगना लोनी, तहसील-दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर की कब्जा प्राप्त भूमि 181-14-18-15 बीघा या 113.5915 एकड़ का शासनादेश संख्या 172/1-13-2008-रा-13 तख्तनऊ दिनांक 22.01.08 व शासनादेश संख्या 208/1-13-2008-रा-13 तख्तनऊ दिनांक 01.04.08 व 272/1-1372010-7-4(9)186-114

15

21.04.2010 के अर्न्तगत मण्डलायुक्त महोदय के अनुमोदन दिनांक 17.04.2012 के उपरान्त आज 21.04.2012 को छुते न्यायलय में घोषित किया जाता है।

*Dr. S. P. Singh*  
 कलेक्टर (पुंनि अर्जन)  
 अपर जिलाधिकारी (पुंनअज)  
 ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

महत्वपूर्ण/फैक्स  
संख्या-192/16-7099-65-2023

प्रेषक,  
प्रभात रंजन,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,  
उ० प्र० पुलिस मुख्यालय,  
लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 95 जनवरी, 2023

विषय:-जनपद गाजियाबाद के मधुवन वापूधाम योजना/इन्दिरापुरम विस्तार में पुलिस विभाग के लिए आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के पत्रांक-260/ 1/2023 दिनांक 16.01.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद गाजियाबाद के मधुवन वापूधाम योजना की कुल 11341.00 वर्गमी० भूमि व इन्दिरापुरम विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्गमी० भूमि को पुलिस थाना / पुलिस चौकी के लिए निःशुल्क आवंटन किये जाने का अनुरोध का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस थाना / पुलिस चौकी के लिए मधुवन वापूधाम योजना की कुल 11341.00 वर्गमी० भूमि व इन्दिरापुरम विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्गमी० भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में सुविचारित प्रस्ताव मय भू-अभिलेखों सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-सथोक्त।

उपरोक्त उपाध्यक्ष, प्रो. का. का. /  
उपरोक्त उपाध्यक्ष, का. का. का. /

Signed by प्रभात रंजन,  
Date: 24-01-2023  
Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेंट, गाजियाबाद।
- 2- जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 3- उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

आज्ञा से,

(प्रभात रंजन)  
अनु सचिव।

प्रभारी भूमि एवं श्रम संचालक  
कृ० खासकर कार्यवाही करें।

ADCP(P)  
26/1/23

1062-D  
3 वक

25/1/2023

2377743/2023/ -9

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक: 260 / 1 / 2023

दिनांक: 16-01-2023

प्रेषक,

उपाध्यक्ष

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,  
गाजियाबाद।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव, गृह  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय: मधुवन बापूधाम योजना/इन्दिरापुरम विस्तार योजना में पुलिस विभाग के लिए आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, गाजियाबाद के पत्र संख्या:व-29/2022 दिनांक 16.01.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, गाजियाबाद द्वारा मधुवन बापूधाम योजना में पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी हेतु तलपट मानचित्र में नियोजित भूखण्डों के संयुक्त निरीक्षण सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सहायक पुलिस आयुक्त (ऑफिस), अवर अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के आधार पर 04 उपयुक्त पाये गये भूखण्डों का निःशुल्क आवंटन करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. पॉकेट-ए0 में 45.00 मीटर चौड़ी सड़क की सर्विस रोड पर स्थित भूखण्ड, क्षेत्रफल 3116.00 वर्ग मी0
2. पॉकेट-बी0 में 18.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड, क्षेत्रफल 3087.00 वर्ग मी0
3. पॉकेट-ई0 में 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड, क्षेत्रफल 2010.00 वर्ग मी0
4. पॉकेट-एफ0 में 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड, क्षेत्रफल 3128.00 वर्ग मी0

मधुवन बापूधाम योजना में उपरोक्त चारों स्थल तलपट मानचित्र में पुलिस थाना/पुलिस चौकी के लिए पूर्व से नियोजित है, जिनकी अवस्थिति, क्षेत्रफल एवं भूमि मूल्य का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	भूमि का स्थल	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमी0)	भूमि की वर्तमान दर (प्रति वर्गमी0)	10 प्रतिशत लीज किराया	कुल मूल्य	स्थल की मापें
1.	पॉकेट-ए0 में 45.00 मीटर चौड़ी सड़क की सर्विस रोड पर स्थित भूखण्ड	3116.00	32000.00	9971200.00	109683200.00	अभियन्त्रण खण्ड द्वारा मापें उपलब्ध कराने पर वास्तविक स्थल चित्र नियोजन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।
2.	पॉकेट-बी0 में 18.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	3087.00	32000.00	9878400.00	108662400.00	
3.	पॉकेट-ई0 में 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	2010.00	32000.00	6432000.00	70752000.00	
4.	पॉकेट-एफ0 में 30.00 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित भूखण्ड	3128.00	32000.00	10009600.00	110105600.00	
कुल योग		11341.00			399203200.00	

उक्त के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के द्वारा इन्दिरापुरम विस्तार योजना में प्रस्तावित नीतिखण्ड थाना हेतु भी पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र दिनांक 22.12.2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अगवत कराना है कि इन्दिरापुरम विस्तार योजना में ग्राम-कनावनी में तलपट मानचित्र में पुलिस थाना/चौकी हेतु भूमि का नियोजन किया गया था, लेकिन मा0 उच्च न्यायालय में वैवाद होने के कारण प्रश्नगत भूमि समायोजन में बैंक एन्कलेव सहकारी, शावास समिति व ए0एल0टी0 सहकारी

आवास समिति को उपलब्ध करा दी गयी। उक्त भूमि ए0एल0टी0 सोसायटी व अन्य को आवंटित होने के कारण इन्दिरापुरम विस्तार योजना में पुलिस थाने के लिए भूमि 30 मी0 रोड़ पर निम्नवत् प्रस्तावित किया जा रहा है :-

क्र० सं०	भूमि का स्थल	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमी०)	भूमि की वर्तमान दर (प्रति वर्गमी०)	10 प्रतिशत लीज किराया	कुल मूल्य
1.	कनायनी स्थित इन्दिरापुरम विस्तार योजना में	3000.00	84,000.00	2,52,00,000.00	27,72,00,000.00

इस प्रकार पुलिस विभाग को मधुबन बापूधाम योजना की कुल 11341.00 वर्गमी० भूमि व इन्दिरापुरम विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्गमी० दी जाने वाली भूमि का मूल्य वर्तमान प्रचलित दर के आधार पर क्रमशः ₹ 39,92,03,200.00 व ₹ 27,72,00,000.00 होता है। पुलिस विभाग को उपरोक्त भूमि का पुलिस थाना/पुलिस चौकी के लिए निःशुल्क भूमि का आवंटन शासन के निर्णय के तहत ही किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भूमि का सत्यापन प्राधिकरण के नियोजन अनुभाग द्वारा भूमि सृजित करते हुए स्वीकृत साईट प्लान की माप में अन्तर आता है, तो उसके आधार पर दी जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में मधुबन बापूधाम योजना के अन्तर्गत एवं कोयल एन्कलेय योजना में नवीन थाना स्थापित करने हेतु मा० मंत्री, परिषद की बैठक दिनांक 08.07.2020 में लिये गये निर्णय के क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-603/2020/1271-6-पु०-7-2020-104/2019 दिनांक 11.07.2020 के अनुसार पुलिस थानों की स्थापना हेतु मधुबन बापूधाम में 3009.63 वर्गमी०, टीला मोड़ स्थित कोयल एन्कलेय योजना में 1294.20 वर्गमी० भूमि निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी थी।

अतः अनुरोध है कि पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के पत्र दिनांक 16.01.2023 के क्रम में पुलिस विभाग हेतु मधुबन बापूधाम योजना के पॉकेट-ए०, बी०, ई० व एफ० में कुल भूमि क्षेत्रफल 11341.00 वर्गमी० एवं पत्र दिनांक 22.12.2022 में नीतिखण्ड थाना हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना में लगभग 3000.00 वर्गमी० निःशुल्क भूमि का आवंटन हेतु निर्णय कराने का कष्ट करें।

(राकेश कुमार सिंह)  
उपाध्यक्ष 16/01/23

पृष्ठांकन:

/2023

दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ०प्र० शासन लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट, गाजियाबाद, को उनके पत्र दिनांक 16.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ।
4. जिलाधिकारी, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

उपाध्यक्ष

आवश्यक / महत्त्वपूर्ण ई-मेल

18

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ-1

संख्या: ग्यारह-115-2022(पलिसकमिशनरेंट गाजि0) दिनांक फरवरी 15, 2023

सेवा में

श्री संजय प्रसाद,  
प्रमुख सचिव, गृह  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

विषय:-

जनपद गाजियाबाद के मधुवन बापूधाम योजना / इन्दिरापुरम विस्तार में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय

BCell

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 192/6-7099-65/2023 दिनांक 25-01-2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जनपद गाजियाबाद में पुलिस थाना / पुलिस चौकी के लिए मधुवन बापूधाम योजना की कुल 11341.00 वर्गमी0 भूमि व इन्दिरापुरम विस्तार योजना की कुल 3000.00 वर्गमी0 भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने के संबंध में सुविचारित प्रस्ताव नय भू-अभिलेखों सहित उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि पुलिस आयुक्त गाजियाबाद के पत्रांक 102/2021 दिनांक 11-02-2023 द्वारा मधुवन बापूधाम योजना के भू-अभिलेख / नक्शा (पाकेट ए0 बी0 ई0 एवं एफ0) एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना के भू-अभिलेख / नक्शा संलग्न कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

3- अतः अनुरोध है कि कृपया शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 25-01-2023 द्वारा की गयी प्रार्थना के क्रम में जनपद गाजियाबाद में पुलिस थाना / पुलिस चौकी के लिए मधुवन बापूधाम योजना के भू-अभिलेख / नक्शा (पाकेट ए0 बी0 ई0 एवं एफ0) एवं प्रस्तावित थाना नीतिखण्ड हेतु इन्दिरापुरम विस्तार योजना के भू-अभिलेख / नक्शा संलग्न कर आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

~~आयुक्त पुलिस इन्दिरापुरम विस्तार योजना~~

आयुक्त पुलिस  
मं।

भवदीय

16/1/23  
एस0 के0 भगत )  
पुलिस महानिरीक्षक, भवन / कल्याण  
16/1/2023 उत्तर प्रदेश ।

तिलिपि-पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



I/313414/2023

पंजीकृत डाक/ई-मेल

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08/05/2023

विषय: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम योजना/इन्दिरापुरम विस्तार योजना में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि के निःशुल्क भूमि आवंटन के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-412P/छः-प-6-2023-300(56)/2022-6-6099/25/2023 दिनांक 27.03.2023 (छायाप्रति मय संलग्नक संलग्न) का कृपया सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत मधुबन बापूधाम योजना/इन्दिरापुरम विस्तार योजना में पुलिस विभाग हेतु आरक्षित भूमि के निःशुल्क भूमि आवंटित कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)

उप सचिव।

